## दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2 विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी वृहस्पतिवार, 29 अक्टूबर 2009/कार्तिक 06, 1931(शक)

संख्या-52

## सदस्य की गिरफतारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष,दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,नई दिल्ली जिला से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य डॉ. जगदीश मुखी को दिल्ली पुलिस अधिनियम,1978 की धारा-65 के तहत पुलिस स्टेशन संसद मार्ग ,नई दिल्ली के सामने फर्स्ट बैरिकेड से 27.10.2009 को अपराहन 2.10 बजे गिरफतार किया गया।

उन्हें उसी दिन, उसी स्थान से अपराहन 2.15 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Thursday 29<sup>th</sup> October, 2009/ Kartika 6, 1931(Saka)

No.52

## Sub: <u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBER</u>

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Commissioner of Police, New Delhi Distt. New Delhi.

"I have the honour to inform you that Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi; Dr. Jagdish Mukhi was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from 1st Barricade in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1410 Hrs on 27.10.2009

He was released at 1415 Hrs from the same place on the same date."

SIDDHARATH RAO
Secretary